

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी  
सोमवार, 27 नवम्बर, 1995 / मार्गशीर्ष 5, 1917 शक

संख्या. 227

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त  
उपायुक्त, पुलिस, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली से दिनांक: 24. 11. 95 की  
निम्नलिखित संसूचना 24 नवम्बर, 1995 को प्राप्त हुई :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय  
राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री  
दीप चन्द बन्धु, टेक चन्द शर्मा, मुकेश शर्मा, जय किशन,  
अनूपवेश चन्द्र एवं राज कुमार चौहान को उनके अन्यसमर्थकों सहित  
आज अर्थात् 24 नवम्बर, 1995 को पूर्वाह्न 11. 55 बजे मैटकाफ  
हाउस रोड, नज़दीक आई. पी. कालेज, दिल्ली पुलिस के विधि  
सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम,  
1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी स्थान से उसी दिन अर्थात् 24. 11. 1995  
को अपराह्न 12. 00 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)  
Monday, November 27, 1995/Margsheersh 5, 1917 (Saka)

No. 227

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 24.11.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Addl. Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was received on 24th November, 1995 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Deep Chand Bandhu, Tek Chand Sharma, Mukesh Sharma, Jai Kisnan, Jag Parvesh Chandra and Raj Kumar Chaunan, Hon. Members of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from the Matcaf House Road, Near I.P. College, Delhi at 11.55 A.M. on 24th November, 1995.

They were released at 12.00 Noon from same place on the same day i.e. 24.11.1995.

P.N. GUPTA  
SECRETARY